

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण - I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 216/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/471

दायर दिनांक :- 30.07.2025

निर्णय दिनांक :- 24.03.2026

1. सुमेरकंवर पत्नी दौलसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रार्थी

बनाम

1. पपूकंवर पत्नी उगमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

2. रेणु इनाणी पत्नी गोविन्दगोपाल इनाणी वल्द गोवर्धनलाल इनाणी जाति इनाणी निवासी

चितोड़गढ जिला चितोड़गढ

3. सविता इनाणी पुत्री गोवर्धनलाल इनाणी जाति इनाणी निवासी चितोड़गढ जिला चितोड़गढ

4. अर्चना इनाणी पत्नी योगेश इनाणी वल्द गोवर्धनलाल इनाणी नि. चितोड़गढ जिला चितोड़गढ

5. सुनिता इनाणी पत्नी सतीश इनाणी गोवर्धनलाल इनाणी जाति इनाणी निवासी चितोड़गढ

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

-अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थी

-:: निर्णय ::-

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त भूमि खेत खसरा नम्बर 415 रकबा 23.5203 हैक्टेयर तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1, 4 व 5 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 416 रकबा 31.1446 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा बोम्बेपुरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 415 रकबा 23.5203 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 416 रकबा 31.1446 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है, इसी अनुसार मौके पर प्रार्थी की अपनी रहवासीय ढाणी, पानी के टांके व पशुओं के बाड़े इत्यादि बने हुवे हैं। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है। प्रार्थी के अपने हिस्से की भूमि को खाद बीज डालकर

Saty
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

आधुनिक तरीके से तैयार किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में सामलाती है इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 अपनी कब्जा काशत वाली भूमि को छोड़कर प्रार्थी के कब्जा काशत की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में सामलाती रहते प्रार्थी को काशत करने में तथा अन्य विकास कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि का अपने हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में बंटवाड़ा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर शांति पूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है लेकिन वर्तमान में जमीनों की किमते अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की नियत खराब हो गई है और वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 आपसी सहमति का बंटवाड़ा करवाने से इन्कार हो गये है और प्रार्थी द्वारा तैयार की गई उक्त खसरा की सम्पूर्ण भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है। अपने इसी नापाक इरादों से दिनांक 21.06.2025 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने प्रार्थी के द्वारा तैयार की गई भूमि में आये और प्रार्थी को धमकी दी की हम तुम्होर हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर तुम्हे बेदखल कर देंगे। उस दिन तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 को समझा बुझा कर वहां से निकाल दिया है। लेकिन जाते हुये अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने प्रार्थी को धमकी दी कि आईन्दा हम पुनः आकर तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 उपरोक्त अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जिसका मुल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 साधन संपन्न एवं प्रभावशाली है जिसका मुकाबला करने में प्रार्थीगण असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के विरुद्ध इस आशय की जारी की जावे की ग्राम बोम्बेपुरा पटवार हल्का टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 415 रकबा 23.5203 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 416 रकबा 31.1446 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काशत में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंगन प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थायी निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है—

Case
अध्यक्ष रजिस्टर
बाप (फलोदी)

प्रथम दृष्ट्या मामला

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम बोम्बेपुरा पटवार हल्का टेकरा के खाता संख्या 205 व 194 सम्बत् 2077-80 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। संयुक्त काश्तकारी के चलते भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रार्थी और अप्रार्थीगण का अधिकार है। प्रत्येक के पास कृषि भूमि का कौनसा विशिष्ट भू-भाग होगा, इसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान, हस्तान्तरण इत्यादि कर देने से वादग्रस्त भूमि की प्रकृति एवं राजस्व अभिलेख में परिवर्तन हो सकता है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थी और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सहकाश्तकार है, चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है। अतः न्यायालय के अभिमत में प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा हो सकती है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णनीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी।

Saty
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम बोम्बेपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 415 रकबा 23.5203 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 416 रकबा 31.1446 हैक्टेयर में प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे तथा मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को लिखवाया जाकरे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



Saty
(सत्य नारायण, आर.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
संपत्ति अधिकारी
बाप (फलोदी)